# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

**अपील संख्या :–2288/2025**

दौलत सिंह

**–अपीलार्थी**

**बनाम**

1. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. शासन उप सचिव, राजस्व ग्रुप–1, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
4. आयुक्त, उपनिवेशन, बीकानेर।

**–प्रत्यर्थीगण**

**आदेश की दिनांक** : 27.03.2025

**उपस्थिति :–**

अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री संजीव सिंघल, राजकीय अभिभाषक

**समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)**
**लेखराज तोसावड़ा, सदस्य**

## आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

2. इस अपील में अपीलार्थी ने आदेश दिनांक 07.03.2025 (अनुलग्नक–1) को चुनौती दी है, जिसके द्वारा राजस्थान सरकार, राजस्व विभाग ने निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर को पत्र के जरिये सूचित किया है कि नायब तहसीदार पद से तहसीलदार के पदों पर डीपीसी वर्ष 2016–17 से वर्ष 2023–24 तक की डीपीसी अनुशंषाओं को रिव्यू किये जाने हेतु कार्मिक विभाग द्वारा सहमति प्रदान की गयी है। इसके अलावा अपीलार्थी ने आदेश दिनांक 12.03.2025 (अनुलग्नक–2) को भी चुनौती दी है, जिसके द्वारा राजस्व मण्डल, अजमेर ने तहसीलदार पद पर पदोन्नति के लिए रिव्यू डीपीसी हेतु वर्ष 2016 से 2024 तक की विभागीय जांच की सूचना मांगी है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में भू–अभिलेख निरीक्षक, उपनिवेशन के पद पर कार्यरत है। अपीलार्थी ने नायब तहसीलदार के पद पर पदोन्नति के सम्बन्ध में एक अपील संख्या–1738/2019 अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की थी, जिसमें अधिकरण ने आदेश दिनांक 09.12.2022 पारित किया और अपीलार्थी को वरिष्ठता दिये जाने एवं तदानुसार पदोन्नति प्रक्रिया में नियमानुसार विचार किये

जाने की कार्यवाही करने के निर्देश दिये थे। अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी को वरिष्ठता एवं पदोन्नति दिये जाने के आदेश अधिकरण द्वारा पारित किये जा चुके हैं, परन्तु उक्त आदेश की पालना अभी तक नहीं की गयी है। अपीलार्थी को अधिकरण के आदेशों के बावजूद भी नायब तहसीलदार के पद पर पदोन्नति प्रदान नहीं की गयी है। चूंकि अधिकरण के आदेशों की पालना नहीं की गयी है, ऐसे में अपीलार्थी तहसीलदार के पद पर पदोन्नति हेतु हो रही रिव्यू डीपीसी में विचार किये जाने से वंचित रह जाएगा। उनका आगे कथन है कि अधिकरण के आदेश के बाद नायब तहसीलदार पद की वर्ष 2015–16 से वर्ष 2019–2020 की रिव्यू डीपीसी आयोजित की जा चुकी है, परन्तु उपनिवेशन विभाग की रिव्यू डीपीसी आयोजित नहीं की गई है। अब तहसीलदार पद की रिव्यू डीपीसी आयोजित की जा रही हैं। उनका यह भी तर्क है कि यदि तहसीलदार के पद हेतु डीपीसी आयोजित की जाती है तो अपीलार्थी से कनिष्ठ व्यक्ति पदोन्नति प्राप्त कर लेगा, जिससे अपीलार्थी के अधिकारों का हनन होगा।

3. हमनें अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया।

4. हम पाते हैं कि अपीलार्थी वर्तमान में भू–अभिलेख निरीक्षक, उप निवेशन के पद पर कार्यरत है। अपीलार्थी द्वारा पूर्व में प्रस्तुत अपील संख्या–1738/2019 में अधिकरण ने आदेश दिनांक 09.12.2022 पारित कर अपीलार्थी को नियमानुसार वरिष्ठता एवं पदोन्नति प्रक्रिया में विचार किये जाने के आदेश पारित किये थे, परन्तु अधिकरण के आदेशों के बावजूद भी अपीलार्थी के सम्बन्ध में पदोन्नति की प्रक्रिया नहीं की गयी। ऐसे में अपीलार्थी अभी तक भू–अभिलेख निरीक्षक के पद पर ही कार्यरत है। यह भी प्रकट हुआ है कि अपीलार्थी ने अधिकरण के आदेश दिनांक 09.12.2022 की पालना प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नहीं किये जाने पर अवमानना याचिका पृथक से इस अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत कर रखी है। हम यह भी पाते हैं कि अपीलार्थी ने वर्तमान में जिस आलोच्य आदेश को चुनौती दी है, वह नायब तहसीलदार से तहसीलदार पद पर रिव्यू डीपीसी के सम्बन्ध में है। अपीलार्थी अभी तक नायब तहसीलदार के पद पर पदोन्नत नहीं हुआ है। ऐसे में अपीलार्थी को तहसीलदार के पद पर रिव्यू डीपीसी को चुनौती देने का अधिकार उत्पन्न नहीं होता है।

5. परिणामस्वरूप यह अपील खारिज की जाती है।

**(लेखराज तोसावड़ा)**
**सदस्य**

**(अनन्त भंडारी)**
**सदस्य (न्यायिक)**